संख्या- /X-2-2012-12(66)/2006

प्रेषक,

सुशांत पटनायक
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

126

अपर प्रमुख वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 28 मार्च, 2012

विषयः- अनुदान सं0-27 के आयोजनागत पक्ष की केन्द्र पुरोनिधानित योजना "प्रोजेक्ट एलीफेन्ट" के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि0-1491/3-6 (Project Elephant) दिनांक 20 अक्टूबर, 2011 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-1-11/2009-PE, दिनांक 29 सितम्बर, 2011 तथा पत्र संख्या-1-11/2009-PE, दिनांक 15 फरवरी, 2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत संचालित केन्द्र पुरोनिधानित योजना "**प्रोजेक्ट एलीफेन्ट**" (100 प्रतिशत केन्द्रांश) में संलग्न बी0एम0-15 प्रपत्र पर अंकित विवरणानुसार ₹2.00 लाख के पुनर्विनियोग सहित चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में पूर्व में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि **₹ 90.00 लाख** के अतिरिक्त द्वितीय किश्त के रूप में **₹55,65,000/- (₹ पचपन लाख पैसठ हजार मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति से भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या-1-11/2009-PE, दिनांक 29 सितम्बर, 2011 एवं पत्र संख्या-1-11/2009-PE, दिनांक 15 फरवरी, 2012 द्वारा दिये गये दिशानिर्देशानुसार व्यय किया जायेगा एवं उक्त पत्र द्वारा "Project Elephant" हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार ही कार्यों का क्रियान्वयन किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि वर्णित योजना हेतु समक्ष स्तर से अनुमोदित कार्ययोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो/मदों पर भारत सरकार द्वारा कार्यवार अनुमोदित लागत की सीमा के अन्तर्गत ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय.

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7, आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, तथा समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(4) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.

(5) बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्ण माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.

(6) यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो, परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि का आहरण वास्तविक मांग आधार पर किश्तों में किया जाय.

(7) व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के समबन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(8) मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.

(10) अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

(11) योजना में अग्रेत्तर वित्तीय स्वीकृति/धनराशि अवमुक्त तभी की जायेगी जब सम्पूर्ण परियोजना/कार्ययोजना मय योजना अवधि, कुल लागत, वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य, outcome/impact के लक्ष्य/अनुमान, चयनित कार्यों का विवरण आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट/प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो.

(12) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना यथा आवश्यतानुसार सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-1638/XXX-1-12(25)/2011 दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वैब साइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वैब साइट यदि कोई हो पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा.

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक अनुदान सं0-27 के लेखाशीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110-वन्य जीवन परिरक्षण 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0103-"**प्रोजेक्ट एलीफेन्ट**" हेतु निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार संगत मदों के नामे डाला जायेगा:-

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र0 सं0	मानक मद	आय-व्यय क प्रावधान	पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृति	अवशेष बजट	वर्तमान वित्तीय स्वीकृति	पुनर्विनियोग
1	2	3	4	5	6	7
1	15-गाड़ियों का अनुरक्षण	800	600	200	400	(+) 200 पुनर्विनियोग
2	18-प्रकाशन	400	0	400	100	
3	20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	500	0	500	300	
4	24-वृहत निर्माण कार्य	10000	935	9065	1100	
5	25-लघु निर्माण कार्य	12000	2595	9405	0	
6	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	6500	120	6380	780	
7	29- अनुरक्षण	17400	2507	14893	1328	
8	42-अन्य व्यय	5000	2243	2757	1257	
9	44-प्रशिक्षण व्यय	2000	0	2000	300	
	योग	**54600**	**9000**	**45600**	**5565**	

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹ पचपन लाख पैंसठ हजार मात्र)

3. ये आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-425(P)/XXVII(1)/2012, दिनांक 26 मार्च, 2012 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति सें जारी किये जा रहे हैं.

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

संख्या- 628 (1)/X-2-2012, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, शिविर कार्यालय-देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
7. निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखण्ड, देहरादून.
8. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
9. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
10. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल.
11. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
13. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
14. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
15. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
16. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
17. गार्ड फाइल.

आज्ञा से,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

आय-व्ययक प्रपत्र-15

पुनर्विनियोग विवरण पत्र 2011-12 अनुदान संख्या-27 राजस्व लेखा आयोजनागत पक्ष

नियंत्रक अधिकारी-अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड(धनराशि ₹ हजार में)

0 सं0	बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार अत्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस धनराशि)		लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-1 में अवशेष धनराशि	टिप्पणी
	1	2	3	4		5	6	7	8
1-	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110-अन्य जीवन परिरक्षण 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0103-प्रोजेक्ट एलीफेंट 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान 500	0	300	200		2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110-अन्य जीवन परिरक्षण 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0103-प्रोजेक्ट एलीफेंट 15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद 200	1000	300	क-भारत सरकार से अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों से सम्बन्धित मानक मदों में आवश्यकता तथा शेष मानक मदों में बचत।
योग	500	0	300	200		200	1000	300	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151, 155 एवं 156 में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है.

(सुरजीत पटनायक)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-4
संख्या- 424 /XXVII(4)/2011 दिनांक 26 मार्च, 2012

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(डा0 एम0सी0जोशी)
अपर सचिव (वित्त)

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2
संख्या- 628 (2)/X-2-2012-12(66)/2006 दिनांक 28 मार्च, 2012

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून.
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
5. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.

आज्ञा से,

(सुरजीत पटनायक)
अपर सचिव